

मध्यप्रदेश शासन
गृह विभाग
मंत्रालयः
वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक 75/2020/सी-2

भोपाल, दिनांक 12 अप्रैल 2020

प्रति,


समस्त कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
मध्यप्रदेश।

विषय:- रवी विपणन वर्ष 2020 में खाद्यान्न उपार्जन के प्रयोजन हेतु पास जारी करने बाबत।

जैसा कि पूर्व में आपको अवगत कराया गया है कि समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न उपार्जन की गतिविधियों को Covid-19 के लॉक-डाउन से छूट प्रदान की गयी है।

2/- अतएव उपार्जन एवं सम्बद्ध गतिविधियों हेतु किसी जिले में अन्य जिलों से श्रमिकों को लाने की आवश्यकता हो तो उसके लिये आवश्यक **movement pass** जिले के कलेक्टर द्वारा जारी किया जा सकेगा। कृपया यह सुनिश्चित करें कि ऐसी **movement** में **social distancing** के मापदण्डों का पालन, **sanitization, mask** आदि की व्यवस्था की गयी हो।

कृपया उपरोक्त निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।



(एस.एन.मिश्रा)
प्रमुख सचिव,
गृह विभाग

-निरंतर

क्रमांक 76/2020/सी-2
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 12 अप्रैल 2020

1. अपर मुख्य सचिव वाणिज्यिक कर विभाग।
 2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय।
 3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय।
 4. कृषि उत्पादन आयुक्त।
 5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति/ किसान कल्याण एवं कृषि/ सहकारिता/लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
 6. पुलिस महानिदेशक मध्यप्रदेश।
 7. समस्त संभागायुक्त मध्यप्रदेश।
 8. समस्त जोनल अति. पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, मध्यप्रदेश।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


प्रमुख सचिव,
गृह विभाग